न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 50/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :— 19.07.2023

जीसीएमएस नम्बर :— 2023/166

वादीया :—

श्रीमती नैनी पत्नी देवी, उम्र— 45 साल, जाति— मेहरात,
निवासी— मानपुरा, तहसील— रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. घीसा पुत्र रहीमा, उम्र— 65 साल, जाति— मेहरात, निवासी— सबलपुरा, तहसील— रायपुर,
2. जनता पत्नी नारायण, उम्र— 30 साल, जाति— मेहरात, निवासी— सबलपुरा, तहसील— रायपुर,
3. श्रीमान तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय— रायपुर,
4. श्रीमान उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय सेन्दडा,
5. पटवारी, पटवार हल्का सेन्दडा, तहसील— रायपुर,

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री मनीष साहू एवं श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण
2 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः **12.08.2024**

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ तैली एवं श्री मनीष साहू द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88,89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीया की खरीद सुदा एवं कब्जा सुदा कृषि भूमि सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा, तहसील— रायपुर, में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1139 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 742 रकबा 0.0285 हैक्टेयर है, जिसकी जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। उक्त जमीन को आगे वाद में वाद ग्रस्त जमीन से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वाद ग्रस्त जमीन वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 एक से उसका सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1139 हैक्टेयर में से 20000/615263वां बन्ट की 0.0037 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर दोनो खसरो की कुल भूमि 0.0092 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दिनांक 14.02.2017 को खरीद की थी, जिसका रजिस्टर्ड बैचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीया के पक्ष में पंजीयन करवाया, तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने बैचान की सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि वादीया से प्राप्त कर उक्त बैचान सुदा जमीन का कब्जा बतौर मालिक के वादीया को सुपुर्द किया था, तब से वादीया का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादीया निरन्तर बतौर मालिक के बिना किसी रोक टोक के उक्त खरीद सुदा जमीन का उपयोग उपभोग व काश्त करती आ रही है, बेचान पंजीयन दस्तावेज की नकल वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे।

वादीया दिनांक 14.02.2017 से निरन्तर उक्त वाद ग्रस्त जमीन का उपयोग उपभोग करती आ रही है, वादीया ने अपने बैचान पंजीयन की फोटो प्रति वास्ते नामान्तकरण भरवाने हेतू पटवारी हल्का को दी, लेकिन पटवारी हल्का ने जान बुझकर वादीया के नाम नामान्तकरण नही भरा था, वादीया एक महिला व अनपढ है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ने अपने नाम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की नाजायज [illegible]कर यह जानते हुये कि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीया को बैचान कर दिया है, तथा वादीया को मौ[illegible] कब्[illegible]पुर्द कर दिया है, इस तथ्य की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 दो को भी थी, फिर भी वादीया को [illegible] की नियत से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर दिनांक 28.06.2021 को लॉक डाउन [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीया को बैचान की गयी जमीन का दूबारा प्रतिवादी संख्या 2 दो के नाम ब[illegible]शनामा कर उपपंजीयन अधिकारी सेन्दडा के समक्ष पंजीकृत करवाया, जो बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 28 में पृष्ठ संख्या 102 व कम संख्या 202103290100326 पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 91 के पृष्ठ संख्या 11 से 20 पर चस्पा किया गया, उक्त दस्तावेज बक्शीशनामा वादीया के हितो व अधिकारो के विरूद्ध शून्य व बेअसर दस्तावेज है, एवं द्वितीय हस्तान्तरण है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

जो कानूनन गलत है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 दो ने उक्त गलत एवं अवैध दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 24.08.2021 जो दिनांक 05.09.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत सेन्दडा द्वारा स्वीकृत किया गया, जो नामान्तकरण संख्या 538 एवं बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 अवैध एवं विधि विरूद्ध दस्तावेज है, जिसे वादीया निरस्त करवाने की अधिकारी है। उक्त दस्तावेज की वादीया को जानकारी तक नही होने दी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिली भगती कर बाले बाले उक्त बक्शीशनामा तैयार करवाया है, दिनांक 18.06.2023 को वादीया अपने हक हिस्से की जमीन में साफ सफाई करने के लिये गयी, तो प्रतिवादी संख्या 2 दो मौके पर आया, तथा वादीया को धमकी दी कि इस जमीन से तुम्हारा कब्जा हटा लेना, उक्त जमीन घीसा ने मेरे पक्ष मे बक्शीश कर रखी है, राजस्व रेकर्ड में नाम भी दर्ज करवा दिया, इस जमीन पर मैं कब्जा करूंगा, तथा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त जमीन को आगे से आगे बैचान करने एवं दिगर व्यक्तियो को कब्जा कराने की ऐलानिया धमकिया दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया के साथ धोखाधडी व छल कपट करते हुये पहले तो वादीया को उक्त जमीन का बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया, अब बाले बाले वादीया को बैचान की गयी जमीन का बक्शीशनामा तैयार करवाकर नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 2 दो के नाम करवा दिया, अगर उक्त बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 एवं नामान्तकरण संख्या 538 को निरस्त नही किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 दो उक्त अवैध व प्रभावशून्य दस्तावेज के आधार पर वादीया को उनके कब्जे से बेदखल आदि कर देगा, तथा जमीन का आगे से आगे बैचान कर दिया, जिससे वादीया को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी, तथा वादीया को अपने हितो व अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसा वादीया हरगिज नही होने देगी, जिससे मौके पर लडाई झगडे होगे, अनेक प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिससे वादीया को रूपयो से जैरबार होना पडेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसीडींग बढेगी। लिहाजा वादीया के पास माननीय न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से वादीया अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।

बिनायदावा दिनांक 28.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 एक द्वारा वादीया को बैचान की गयी जमीन का प्रतिवादी संख्या 2 दो को बाले बाले बक्शीश करवाने एवं दिनांक 18.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 दो द्वारा वादीया को उक्त खरीद सुदा जमीन से बेदखल आदि करने एवं अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर जमीन का अन्य को बैचान बक्शीश करने की ऐलानिया धमकिया देने पर बमुकाम– मानपुरा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में उत्पन्न होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से अन्दर मियाद वाद श्रीमान की सेवा में पेश है।

डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद में वर्णित सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1139 हैक्टेयर में से 20000/615263वां बन्टकी 0.0037 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर दोनो खसरो की कुल भूमि 0.0092 हैक्टेयर वादीया की खरीद सुदा जमीन है, जिसका नामान्तकरण वादीया के नाम भरवाने की घोषणा फरमावे।

डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या– 1 में वर्णित सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1139 हैक्टेयर में से 20000/615263वां बन्टकी 0.0037 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर दोनो खसरो की कुल भूमि 0.0092 हैक्टेयर वादीया की खरीद सुदा जमीन है, जिस पर वादीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है, इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 एक ने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर बाले बाले वादीया को बैचान की गयी जमीन का प्रतिवादी संख्या 2 दो के नाम बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 28 में पृष्ठ संख्या 102 व कम संख्या 20210329010032 6 पर पंजी[illegible] गया, तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 91 के पृष्ठ संख्या 11 से 20 पर चस[illegible] करवाय[illegible] था उक्त बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 24.08.2021 जो दिनांक 05.09[illegible] को सरपंच ग्राम पंचायत सेन्दडा द्वारा स्वीकृत करवाया, उक्त दोनो दस्तावेज वादीया के हितो व [illegible] के विरूद्ध बेसर, शून्य, अवैध, प्रभावशून्य दस्तावेज है, इसलिये उक्त बक्शीशनामा दिनांक 28.06.20[illegible] व नामान्तकरण संख्या 538 को अवैध, शून्य, प्रभावशून्य घोषित फरमावे।

डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 में वर्णित सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1139 हैक्टेयर में से 20000/615263वां बन्टकी 0.0037 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर दोनो खसरो की कुल भूमि 0.0092 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दीया की खरीद सुदा जमीन है, जिसमें वादीया के उपयोग उपभोग, काश्त व कास्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखंलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीया को कब्जे से बेदखल आदि करे, और ना ही प्रतिवादी संख्या 2 दो राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर जमीन का बैचान बक्शीश करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 के सम्मन तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित रहे। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादपत्र पर साक्ष्य के संबंध में बयान कलमबद्व किये गये हैं। जो पत्रावली संलग्न किये गये।

वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर भूमि वादीया की खरीद सुदा जमीन है, इसीलिए वादीया को खातेदार घोषित किया जावें तथा बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 28 में पृष्ठ संख्या 102 व क्रम संख्या 202103290100326 एवं ग्राम पंचायत सेन्दडा के नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 24.08.2021 स्वीकृत दिनांक 05.09.2021 में वादीया के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जावें।

बहस समायत की गई। बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर वादीया की खरीद सुदा जमीन है, इसीलिए वादीया को खातेदार घोषित किया जाना तथा बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 28 में पृष्ठ संख्या 102 व क्रम संख्या 202103290100326 एवं ग्राम पंचायत सेन्दडा के नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 24.08.2021 स्वीकृत दिनांक 05.09.2021 में वादीया के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मानपुरा, पटवार हल्का सेन्दडा में खसरा नम्बर 742 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर मे से 10000/51317 बन्ट की 0.0055 हैक्टेयर वादीया की खरीद सुदा जमीन है, इसीलिए वादीया को खातेदार घोषित किया जाना तथा बक्शीशनामा दिनांक 28.06.2021 के पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 28 में पृष्ठ संख्या 102 व क्रम संख्या 202103290100326 एवं ग्राम पंचायत सेन्दडा के नामान्तकरण संख्या 538 दिनांक 24.08.2021 स्वीकृत दिनांक 05.09.2021 में वादीया के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested